(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्। तथापि यह कहना गलत है कि वे इन क्षेत्रों में यातायात जाम करने के स्रोत हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी अन्य सुविधाजनक तथा सस्ते यातायात साधन के अभाव में इन क्षेत्रों में रिक्शाओं से सीमित सुविधा मिल रही है।

तिब्बत में मार्शल लॉ के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन

@3640ग. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में मार्शल लॉ लगाये जाने के विरुद्ध हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन किये गये थे; यदि हां, तो ये प्रदर्शन किस किस तारीख को और किस-किस स्थान पर किये गये थे; और

(ख) प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्। विवरण निम्न प्रकार से है:-

प्रदर्शन की तारीख	प्रदर्शन करने का स्थान
27-2-89	नई दिल्ली स्थित यू.एन. डी. पी. कार्यालय के बाहर
6-3-89	नई दिल्ली में चीनी दूतावास के नजदीक।
10-3-89	नई दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक
12-3-89	-तदेव-
13-3-89	नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के नजदीक
14-3-89	नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से बाहर
15-3-89	-तदेव-
16-3-89	-तदेव-
17-3-89	-तदेव-
18-3-89	नई दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :-

1. तिब्बत में तिब्बतियों को मानव अधिकार बहाल करना।
2. तिब्बत में तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद करना।
3. तिब्बत को स्वतंत्र करना।
4. तिब्बत में मार्शल-लॉ समाप्त करना।
5. पाचेन लामा की मृत्यु की जांच करना।
6. दलाईलामा के पांच-सूत्री कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1959, 1961 और 1965 में पारित संकल्पों को लागू करना।
7. तिब्बती राजनैतिक कैदियों को रिहा करना।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्तक्षेप।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3389, 29 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित।